11096/29-10-2020

दिनांक– 28.10.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नाकिंत निदेश दिए गएः–

1. हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी की समीक्षा :– बैठक में तीनों एजेंसियों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को निम्नाकिंत तीनों बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाए।

(i) प्रथम चरण में चयनित जिला में एजेन्सी के कार्यालय की स्थापना।

(ii) सभी सम्बन्धित शिविरों में राजस्व ग्रामवार A4 साइज में ऑर्थोमैप की आपूर्ति जिसमें मुश्तकिल एवं त्रिसीमाना कोंडिनेट सहित दर्शाया गया हो।

(iii) सभी विशेष सर्वेक्षण शिविरों के लिए आवश्यक कुल मानवबल एवं संसाधन की 80 प्रतिशत उपलब्ध कराना।

एजेंसियों को भुगतान के सम्बन्ध में निदेशित किया गया कि भुगतान का पूर्ण दायित्त्व निदेशालय का है और यदि इसमें कोई अवरोध आता है तो इसका दायित्त्व भी निदेशालय का ही है।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी)

2. बजट का प्रावधानः– निदेशित किया गया कि वर्ष– 2021–2022 के लिए बनाए जाने वाले बजटीय प्रस्ताव को समेकित रूप से इस तरह का बनाया जाए ताकि केन्द्र एवं राज्य स्तर एवं DILRMP, गैर–योजना एवं योजना मद में प्राप्त आवंटन, व्यय, शेष के साथ–साथ जिला स्तर पर संभावित विभिन्न मदों पर व्यय होनेवाली राशि का आकलन मदवार स्पष्ट करते हुए स्प्रैड सीट में A4 साइज पेपर पर इस तरह बनाया जाय कि जिससे सर्वेक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत अलग–अलग मदों यथा प्रचार–प्रसार, खतियान लेखन में कैथी भाषा का अनुवादक इत्यादि पर होने वाले संभावित व्यय का सही–सही आकलन करने में सुविधा हो। उपस्थित कार्यवाह सहायक को दो दिनों के अंदर प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं श्री राकेश आर्य, सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

3. विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में लगाए जाने वाले पिलरों के निर्माण पर होने वाले व्ययः– प्रतिवेदित किया गया कि इस सम्बन्ध में दिनांक– 02.11.2020 को बैठक निर्धारित की गई है। निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में विधि विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में एक कमिटी द्वारा अन्तिम रूप से पिलरों के निर्माण की दर निश्चित कर दी जाए। यह भी निदेश दिया गया कि एजेंसियों को पिलर का निर्माण स्थानीय स्तर पर करने का निदेश दिया जाए, जिससे की परिवहन व्यय का प्रश्न नहीं रहे। पिलर के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेने के लिए इसके लिए बनाई गई समिति में तकनीकी योग्यता वाले सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को भी शामिल करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

4. **<u>Marble के संबंध में</u>**:– बैठक में उपस्थित श्री राधा मोहन प्रसाद, (अवकाश प्राप्त वि0प्र0से0) से अनुरोध किया गया कि निदेशालय स्तर पर तैयार किए गए Marble के वैधानिक आधार को स्पष्ट कर दिया जाए ताकि इसे अन्तिम रूप दिया जा सके। प्रथम चरण के चयनित जिलों को निदेशालय स्तर पर तैयार किए गए Marble की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपर समाहर्त्ता से उनके जिलों से संबंधित विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के संबंध में मंतव्य प्राप्त करने हेतु पत्र दिया जाए निर्वाचन पश्चात् Marble संबंधी सामान्य समस्याओं के अतिरिक्त जिलों की विशिष्ट समस्याओं के संबंध में जिलों के साथ बैठक की जाए एवं अलग–अलग जिलों के साथ बैठक करने के लिए का कैलेंडर तैयार कर लिया जाए।

(अनुपालन–तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

5. **<u>Modern Record Room</u>**:– निदेशक द्वारा बताया गया कि राज्य के 436 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण हुआ है और उनसे भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की मांग का स्मार दिनांक– 22.10.2020 को प्रेषित किया गया है। निदेश दिया गया कि जिलों से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर जिलों का नियमित अनुश्रवण किया जाए। साथ ही आधुनिक अभिलेखागार के लिए आवश्यक मानवबल का आकलन करते हुए आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जाय। आई0टी0 मैनेजर को निदेशित किया गया कि अपर समाहर्त्ता के प्रगति प्रतिवेदन के लिए निर्धारित किए गए अंकों में 5 प्रतिशत MRR के लिए निश्चित किया जाए।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

6. **<u>प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) में भरी जाने वाली प्रविष्टियाँ</u>**:– प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) में भरी जाने वाली प्रविष्टियाँ के सम्बन्ध में जिलों से सुझाव प्राप्त करने के लिए जिलों के प्रभारी पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सभी सूचियों सुझाव हेतु उपलब्ध करा दी गई हैं। निदेश दिया गया इस संबंध में कमिटी से निर्णय लेकर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन–तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

7. **<u>प्लॉट के यूनिक आई डी0 के संबंध में</u>**:– प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक– 28.10.2020 को इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के आलोक में भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग के साथ बैठक की गई है एवं दिनांक– 05.11.2020 को निदेशालय को अन्तिम रूप देने के लिए बैठक की जानी है। निदेश दिया गया कि दिनांक– 05.11.2020 की बैठक में इस पर अन्तिम निर्णय लेकर सभी जिलों को इसके अनुसार कार्रवाई करने का निदेश दे दिया जाए एवं दोषी पर कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

8. **<u>प्लॉटर मशीन एवं नक्शा बिक्री के संबंध में</u>**:– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चार जिलों में आवश्यक आवंटन के अभाव में मशीन की मरम्मति एवं अन्य कार्य नहीं हो पा रहे हैं। निदेश दिया गया कि आवश्यक आवंटन की मांग करते हुए संबंधित जिलों को यथाशीघ्र आवंटन उपलब्ध कराया जाय।

निदेश दिया गया कि जिलों में जिन कम्पनियों द्वारा प्लॉटर की आपूर्ति की गई है, उनसे कारण पृच्छा की जाए। साथ ही जिन स्थानों (जिलों) का प्लॉटर खराब है, उनके बगल के जिलों में उस जिले के मानचित्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। भविष्य में जिलों में प्लॉटर के अधिष्ठापन में कम्पनी के साथ किए जाने वाले एकरारनामा में 5 साल के रख–रखाव एवं मशीन की सुरक्षा संबंधी शर्तों को शामिल किया गया। जिन जिलों में मानचित्र बिक्री संतोषजनक नहीं है, वहाँ का भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना)

9. **<u>बन्दोबस्त कार्यालयों के लिए भाड़े पर भवन, वाहन के संबंध में:–</u>** निदेशित किया गया कि सभी बन्दोबस्त .कार्यालयों में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं अन्य सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए एक–एक वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

10. **<u>विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं कानूनगो को ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में:–</u>** निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं कानूनगो को क्षेत्र भ्रमण के लिए ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

11. **<u>सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को वित्तीय शक्ति प्रदान करने के संबंध में:–</u>** निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को वित्तीय शक्ति प्रदत्त करने के संबंध में दिनांक– 05.11.2020 तक आवश्यक प्रस्ताव कर उपस्थापित करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

12. **<u>प्रपत्रों की छपाई:–</u>** निदेशित किया गया कि प्रपत्रों की छपाई जिलावार से हो, के संबंध में आवश्यक निर्णय हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाय एवं विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई के लिए जिलों को निदेशित करते हुए सभी जिलों को प्रपत्र का नमूना उपलब्ध करा दिया जाए।

(अनुपालन–उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना)

13. **<u>MIS के आधार पर प्रगति की समीक्षा:–</u>** प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में दिए गए निदेश के अनुसार जिलों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में 40 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले कर्मियों की सूची जिलों को उपलब्ध करा दी गई है।

निदेश दिया गया कि सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को 40 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले कर्मियों की सूची उपलब्ध कराते हुए उन्हें कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मन्तव्य के साथ निदेशालय को भेजने हेतु निदेशित किया जाए।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

29/1/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249 / 2019 11096 **पटना, दिनांक** :– 29-10-2020

प्रतिलिपिः– श्री राकेश आर्य, सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249 / 2019 11096 **पटना, दिनांक** :– 29-10-2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249 / 2019 11096 **पटना, दिनांक** :– 29-10-2020

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249 / 2019 11096 **पटना, दिनांक** :– 29-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी / निदेशालय स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249 / 2019 11096 **पटना, दिनांक** :– 29-10-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249 / 2019.......11096....... **पटना, दिनांक** :–29-10-2020

प्रतिलिपिः– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0, आई0एल0एण्ड एफ0एस0, जी0आई0एस0 कंसोर्टियम को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

29/X/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249 / 2019.......11096....... **पटना, दिनांक** :–29-10-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/X/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप